पूर्व-प्राथमिक बच्चों के लिए स्कूल देखभाल कार्यक्रम के बाद [एएससीपी (पीसी)] After School Care Programme for Pre-primary Children [ASCP(PC)] NSCCP

नेबरहुड सपोर्ट चाइल्ड केयर प्रोजेक्ट (NSCCP) Neighbourhood Support Child Care Project (NSCCP)

बच्चों को अकेला न छोड़ें

सेवा प्रकृति

- उन प्री-प्राइमरी बच्चों के लिए चाइलुड केयर सेवा प्रदान करना जिनके माता-पति। या देखभालकर्ता स्कूल के समय से पहले/बाद में उन्हें उचित देखभाल प्रदान करने में असमर्थ है
- उनकी विकासात्मक जरूरतों को पूरा करने के लिए व्यक्तगित/समूह गतिविधियों को प्रदान करना

सेवा का लक्ष्य

3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे; या कडिरगार्टन/कडिरगार्टन-कम-चाइल्ड केयर सेंटर में नर्सरी (K1), लोअर (K2) या अपर (K3) ककषाओं में भाग लेने वाले बच्चे

सेवा के घंटे

सोमवार से शुक्रवार तक (सार्वजनकि अवकाश को छोड़कर) दिन में तीन सत्र (अर्थात सुबह का सत्र, दोपहर का सत्र और शाम का सत्र)

कुछ केंद्रर शनवार, खवार या सार्वजनकि अवकाश के दौरान अतरिकित उद्घाटन सत्र प्रदान कर सकते हैं

शुल्क चार्ज

- शुल्क वसूलने का स्तर समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुमोदित है
- सामाजिक आवश्यकताओं और वित्तीय कठिनाई वाले सेवा उपयोगकरता शुल्क में कमी/माफी के लिए संबंधित सेवा ऑपरेटरों से संपर्क कर सकते हैं

आवेदन की प्रक्रिया

सेवा ऑपरेटरों के लिए सीधा आवेदन

Service Nature

- Provide child care service for pre-primary children whose parents or carers are unable to provide proper care to them before/after school hours
- Provide individual/group activities to meet their developmental needs

Service Target

Children aged 3 to under 6; or

Children attending nursery (K1), lower (K2) or upper (K3) classes in kindergartens/kindergarten-cum-child care centres

Service Hours

Three sessions a day (i.e. the morning session, afternoon session, and evening session) from Monday to Friday (except public holidays)

Some Centres may provide extra opening sessions during Saturdays, Sundays or public holidays

Fee Charging

- The fee charging level is approved by Social Welfare Department
- Service users with social needs and financial hardship may approach respective service operators for fee reduction / waiving

Application Procedure

Direct application to service operators

सेवा प्रकृति

- लचीली बाल देखभाल सेवाएँ परदान करें
- पड़ोस में सामुदायिक भागीदारी और आपसी मदद को बढ़ावा देना
- दो सेवा घटक: घर-आधारित बाल देखभाल सेवा और केंद्र-आधारित देखभाल समूह

सेवा का लक्ष्य

घर-आधारति बाल देखभाल सेवा: ९ वरष से कम आय के बचचे

केंद्र आधारति देखभाल समूह: 3 से 9 वर्ष की आयु के बचचे

सेवा के घंटे

घर-आधारित बाल देखभाल सेवा: सुबह ७ बजे से ११ बजे। केंद्र-आधारित देखभाल समूह: कार्यदिवसों पर रात ९ बजे तक। और कुछ सपताहांतों परैं

शुल्क चार्ज

- जैसा कि सेवा ऑपरेटरों द्वारा निर्धारित किया गया है और समाज कल्याण विभाग द्वारा
- सामाजिक आवश्यकताओं वाले निम्न आय वाले परिवारों के लिए शुल्क में कमी/माफी

आवेदन की प्रक्रिया

सेवा संचालकों को सीधा आवेदन

Service Nature

- Provide flexible child care services
- Promote community participation and mutual help in the neighbourhood
- Two service components: home-based child care service and centre-based care group

Service Target

Home-based child care service: Children aged under 9

Centre-based care group: Children aged 3 to under 9

Service Hours

Home-based child care service: 7 a.m. to 11 p.m. Centre-based care group: Till 9 p.m. on weekdays and some weekends

Fee Charging

- As determined by service operators and approved by the Social Welfare Department
- Fee reduction / waiving for low income families with social needs

Application Procedure

Direct application to service operators

Don't Leave Children Unattended

परदान करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों को सबसिडी देती है।

माता-पिता की सहायता करने के लिए जो असथायी रूप से काम या

अनय कारणों से अपने छोटे बचर्चों की देखभाल नहीं कर सकते हैं.

माता-पति। और उनके छोटे बचर्चों की विभिन्न आवशयकताओं को

पुरा करने के लिए, सरकार विभिन्न पुरकार की बाल देखभाल सेवाएँ

Introduction

परसतावना

To assist parents who cannot take care of their young children temporarily because of work or other reasons, the Government subsidies non-governmental organisations to provide a variety of child care services, to meet the different needs of the parents and their young children.

जाँच

समाज कल्याण विभाग (SWD) हॉटलाइन: 2343 2255 वेबसाइट: http://www.swd.gov.hk

Enquiry

Social Welfare Department Hotline: 2343 2255 Website: http://www.swd.gov.hk

दिन के समय बाल खिभालत्र सेवाएं Day Child Care Services



















बाल देखभाल केंद्रर (CCC)

सेवा [कडिरगार्टन (KGs) से जुड़ी स्वसंपूर्ण CCC और CCC सहति]

Child Care Centre (CCC) Service

[including standalone CCCs and CCCs attached to Kindergartens (KGs)]



समसामयकि बाल देखभाल सेवा (OCCS) Occasional Child Care Service (OCCS)



वसितारति घंटे सेवा (ईएचएस) (EHS) **Extended Hours Service (EHS)**



मयुचअल हेलप चाइलड केयर सेंटर (MHCCC) Mutual Help Child Care Centre (MHCCC)

सेवा परकर्ता

0 से 3 वर्ष की आयु के बचर्चों के लिए बाल देखभाल सेवा परदान करें

सेवा का लकषय

0 से 3 वर्ष की आयु के बचुचे

सेवा के घंटे

सोमवार से शकरवार: सबह ८ बजे से शाम ६ बजे तक। शनवार: सुबह ८ बजे से दोपहर १ बजे तक।

शुलुक चारुज

- सटैंडअलोन CCC की सेवा फीस समाज कलयाण वभाग द्वारा अनुमोदति की जाती है और KG से जडे CCC को कंडिरगारटन और शकिषा बयरो के बाल देखभाल केंद्रों के लिए संयुक्त कार्यालय द्वारा अनुमोदति कथाि जाता है।
- परे दिन की बाल देखभाल सेवा परापत करने वाले निमन आय वाले परवारों के बचचे कडिरगारटन और चाडलड केयर सेंटर शलक हटाने की योजना के लिए आवेदन करने के लिए छातर या छातर वतितीय सहायता एजेंसी (WFSFAA) के छातर वतित कार्यालय से संपरक कर सकते हैं।
- आवेदन करने के लिए, कपया WFSFAA छातुर वतित कारयालय से संपरक करें या इसकी वेबसाइट पर जाएं: http://www.wfsfaa.gov.hk

आवेदन की परकरिया

KG से जुड़ी स्टैंडअलोन CCC या CCC के लिए सीधे आवेंदन

Service Nature

Provide child care service for children aged 0 to under 3

Service Target

Children aged 0 to under 3

Service Hours

Monday to Friday: 8 a.m. to 6 p.m. Saturday : 8 a.m. to 1 p.m.

Fee Charging

- · Service fees of standalone CCCs are approved by the Social Welfare Department and those of CCCs attached to KGs are approved by Joint Office for Kindergartens and Child Care Centres of the Education Bureau
- Children from low income families receiving full-day child care service can approach the Student Finance Office of the Working Family and Student Financial Assistance Agency (WFSFAA) to apply for Kindergarten and Child Care Centre Fee Remission Scheme to cover part or whole of service fee
- For making application, please contact the WFSFAA - Student Finance Office or visit its website: http://www.wfsfaa.gov.hk

Application Procedure

Direct application to standalone CCCs or CCCs attached to KGs

सेवा परकर्ता

माता-पति। या देखभाल करने वालों के लिए कछ सवसंपरण CCCs और KG-सह -CCCs में परे दिन, आधे-दिन या दो घंटे के वयावसायकि आधार पर सामयकि बाल देखभाल सहायता परदान करें

सेवा का लकषय

स्टैंडअलोन CCCs: 0 से 3 वरष की आय के बचचे

KG-सह-CCCs:

0/2 से 6 वर्ष की आयु के बचुचे सेवा के घंटे

सोमवार से शकरवार: सबह ८ बजे से शाम ६ बजे तक।

सबह ८ बजे से दोपहर १ बजे तक।

शलक चारज

- जैसा कि समाज कलयाण विभाग दवारा अनमोदति
- सामाजिक आवशयकताओं वाले निमन आय वाले परवारों के लिए शलक में कमी/माफी

आवेदन की परकरिया

CCCS या OCCS उपलबध कराने के KG -सह-CCCS सवसंपरण करने के लिए परतयकष

Service Nature

Provide occasional child care assistance on full-day, half-day or two-hour sessional basis at some standalone CCCs and KG-cum-CCCs for parents or carers with sudden engagements or various commitments

Service Target

Standalone CCCs: Children aged 0 to under 3

KG-cum-CCCs: Children aged 0/2 to under 6

Service Hours

Monday to Friday: 8 a.m. to 6 p.m. : 8 a.m. to 1 p.m. Saturday

Fee Charging

- As approved by the Social Welfare Department
- Fee reduction / waiving for low income families with social needs

Application Procedure

Direct application to standalone CCCs or KG-cum-CCCs providing OCCS

सेवा पुरकृति

कछ सटैंडअलोन CCCs और KG-सह-CCCs में बचर्चों की देखभाल की सहायता के लिए परिवार और सामाजिक माता-पति। की सामाजिक जररतों को परा करने के लिए अधिक घंटे परदान करें

सेवा का लकषय

सटैंडअलोन CCCs: 0 से 3 वरष की आय के बचचे

KG-सह-CCCs: 0/2 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे

सेवा के घंटे

सोमवार से शकरवार: शाम ६ बजे से शाम ७ बजे तक। / ८ बजे।

दोपहर 1 बजे से 2 बजे / 3 बजे। / 8 बजे।

* अलग-अलग केंदुर सेवा की मांग के आधार पर अपने सेवा घंटों में भनिन हो सकते हैं

शुलक चारुज

- जैसा कि समाज कलुयाण विभाग द्वारा अनुमोदति है
- सामाजिक जररतों वाले कम आय वाले परवािरों के लिए शुलक सबसिडी

आवेदन की परकरिया

प्रत्यक्ष आवेदन CCCS स्वसंपुर्ण करने के लिए या केजी-सह-CCCS EHS परदान

Service Nature

Provide longer hours of child care assistance at some standalone CCCs and KG-cum-CCCs to meet the social needs of families and working parents

Service Target

Standalone CCCs: Children aged 0 to under 3

KG-cum-CCCs: Children aged 0/2 to under 6

Service Hours

Monday to Friday 6 p.m. to 7 p.m. / 8 p.m.

Saturday

1 p.m. to 2 p.m. / 3 p.m. / 8 p.m.

* Individual centres may vary their service hours depending on the service demand

Fee Charging

- As approved by the Social Welfare Department
- Fee subsidy for low income families with social needs

Application Procedure

Direct application to standalone CCCs or KG-cum-CCCs providing EHS

सेवा परकर्ता

- गैर-लाभकारी-सथानीय संगठनों, महलाओं के संघों. चरच समहों आदि दवारा सथापति
- पड़ोस के भीतर बचचे की देखभाल पर आपसी मदंद को बढावा देना
- मुखुय रुप से सुवयंसेवकों, पडोसियों और / या माता-पता दुवारा पारसुपरिक सहायता चाइलड केयर गुरप के रूप में की जा रही गतविधियोँ

सेवा का लकषय

0 से 3 वरष की आय के बचचे (सेवा संचालक आवशयकता के आधार पर 3 से कम आय के बचर्चों को बाल देखभाल सेवा परदान कर सकतेँ हैं)

सेवा के घंटे

लचीला और शाम को कवर दवारा, कछ सपताहांत और कुछ सारवजनकि छुट्टयां

* कुछ केंदुर देर शाम को, सपताहांत में और सारवजनकि अवकाश के दौरान नियंकति दवारा सेवा परदान करते हैं

शलक चारज

• सेवा ऑपरेटरों के नरिधारण के अनसार

आवेदन की परकरिया

सेवा संचालकों को सीधा आवेदन

Service Nature

- · Set up by non-profit-making local organisations, women's associations, church groups, etc.
- Promote mutual help on child care within the neighbourhood
- Activities being carried out mainly by volunteers, neighbours and/or parents in the form of mutual help child care group

Service Target

Children aged 0 to under 3 (Service operators may provide child care service to children aged 3 to under 6 on a need basis)

Service Hours

Flexible and covering the evenings, some weekends and some public holidays

* Some centres offer service by appointment in late evenings, at weekends and during public holidays

Fee Charging

As determined by service operators

Application Procedure

Direct application to service operators





























